

प्रेषक : उपायुक्त सोनीपत

सेवा में

निदेशक,
शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा
SCO 71-75, 2nd फ्लोर, सैक्टर-17 सी,
चण्डीगढ़

क्रमांक 2070 /एस0 के0 दिनांक 31-10-18

विषय-- Letter of intent of Grant of License to set up ground Housing Colony on an area measuring 5.65 acres in the Revenue Estate of Village Nangal Kalan, Sector-63, Distt-Sonipat Pushprattan Developers Pvt. Ltd.

उपरोक्त विषय बारे आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक LC-3851-ATP(SN)/2018/18227 Dated 19.06.2018 के सन्दर्भ में।

(1) विषयाधीन मामले में आपकी सेवा में भेजकर अवगत करवाया जाता है कि उपमण्डल अधिकारी (ना) सोनीपत से मैसर्स पुष्परतन डवलपर्स प्रा0 लि0 कम्पनी की 42 कनाल 00 मरले 5.250 एकड़ भूमि गांव नांगल कला में जमाबन्दी वर्ष 2014-15 की खेवट नम्बर 588 मिन, 581 मिन, 592 मिन खाता नम्बर 615, 630 मिन, 641 मिन का किला नम्बर 9//21/2 (2-0), 22/4 (1-3), 20/1 (7-16), 21/1/2 (5-16), 10//14/2/2 (3-0), 15/1/1 (4-12), 15/1/2/1 (0-8), 16/1 (6-9), 17/1/1(2-12), 9//11 (8-0), 21/1/1 (0-4) इतकाल नं0 7297, 7275, 7294, 7243, 7273, 7293 कुल किले 41 तदादी 42 कनाल 00 मरले 5.250 एकड़ भूमि जमाबन्दी व इतकाल अनुसार मलकियत मैसर्स पुष्परतन डवलपर्स प्रा0 लि0 कम्पनी की है।

(2) गांव नांगल कला में जमाबन्दी वर्ष 2014-15 की खेवट नं0 588 खाता नं0 634 किला नम्बर 9//20/2 (0-4), 10//15/1/2/2 (2-12), 15/2 (0-8) किले 03 एकड़ तदादी 03 कनाल 04 मरले 0.40 एकड़ अनुसार जमाबन्दी व इतकाल 7302 की मलकियत मैसर्स पुष्परतन डवलपर्स प्रा0 लि0 कम्पनी 1/2 भाग व मैसर्स के0 वी0 रियलटर्स प्रा0 लि0 कम्पनी 1/2 भाग की है।

अतः गांव नांगल कला के किला नम्बर 9//21/2 (2-0), 22/4 (1-3), 20/1 (7-16), 21/1/2 (5-16), 10//14/2/2 (3-0), 15/1/1 (4-12), 15/1/2/1 (0-8), 16/1 (6-9), 17/1/1(2-12), 9//11 (8-0), 21/1/1 (0-4) तदादी 42 कनाल 00 मरले 5.250 एकड़ भूमि की मलकियत मैसर्स पुष्परतन डवलपर्स प्रा0 लि0 कम्पनी तथा किला नम्बर 9//20/2 (0-4), 10//15/1/2/2 (2-12), 15/2 (0-8) किले 03 एकड़ तदादी 03 कनाल 04 मरले 0.40 एकड़ भूमि की मलकियत मैसर्स पुष्परतन डवलपर्स प्रा0 लि0 कम्पनी 1/2 भाग व मैसर्स के0 वी0 रियलटर्स प्रा0 लि0 कम्पनी 1/2 भाग का मलकियत प्रमाण पत्र इस सल पर दिया जाता है कि कम्पनी उसके बीच में अपने वाले बंगाली रास्ते/खाल/वाय आदि पर किसी प्रकार का कोई तामिर (Construction) नहीं करेगी और न ही आम जनता को बंगाली रास्ते/खाल को प्रयोग करने से रोकेगी। जिस बारे सम्बन्धित कम्पनी से शपथ पत्र भी ल लिया गया है।

कृते उपायुक्त सोनीपत
१८